

कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी, जनपद देहरादून।

ईमेल-efoddn.ukts@gmail.com

मोबाईल नम्बर-9458597981, फोन नम्बर-0135-2654900

पत्रांक न-20/अग्नि (493)/2025

दिनांक: अगस्त 08, 2025

सेवा में,

प्रधानाचार्य/प्रबन्धक,

VIDYASTHAL CHILDREN ACADEMY

Badowala, Arcadiagrnt Premnagar Road Dehradun

जनपद-देहरादून।

विषय शैक्षणिक भवन में अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र के नवीनीकरण (Pre-Clearance) के सम्बन्ध में दिये गये निर्देशों को ध्यान पूर्वक पढ़ें।

कृपया आपके आवेदन यूनिट नम्बर:-84709583 दिनांक: 01.08.2025 जो कि Uttarakhand Fire and Emergency Services के वेब पेज पर प्राप्त हुआ है, के अनुसार अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण अग्निशमन अधिकारी देहरादून द्वारा किया गया। अग्निशमन अधिकारी देहरादून की निरीक्षण आख्या दिनांक 07.08.2025 के अनुसार निरीक्षण के दौरान अग्निशमन व्यवस्था फायर एक्सटिंग्यूशर, होजरील, फायर अलार्म, भूमिगत पानी टैंक, टैरिस टैंक, फायर पम्प इत्यादि कार्यशील दशा में पायी गयी। भवन/संस्थान एक शैक्षणिक भवन है। भवन/संस्थान में भूतल, प्रथम एवं द्वितीय तल है। भवन/संस्थान में बेसमेन्ट नहीं है।

अतः उत्तराखण्ड शासन, गृह अनुभाग-03 की अधिसूचना संख्या-342/XX-3/2021-2(39)/2006 देहरादून दिनांक: 29 नवम्बर 2021 तथा संख्या-304272/XX-3/2025-02(10)/2024 देहरादून दिनांक 08 जून, 2025 के अनुपालन में दिनांक: 08 अगस्त 2025 से 07 अगस्त 2028 (03 वर्ष) तक के लिये प्राथमिक अग्नि उपकरणों सम्बन्धी कार्यशीलता प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाता है, तथा निम्न शर्तों का पालन किये जाने पर ही यह वैध रहेगा।

1. समी बाहर निकलने या बचाव के रास्ते तथा सीढ़ियां प्रत्येक दशा में अवरोध मुक्त रखी जाये।
2. भवन/संस्थान के समी कर्मचारियों को उपलब्ध अग्निशमन यन्त्रों का तथा सुरक्षित निष्क्रमण (Evacuation) प्रक्रिया का ज्ञान होना आवश्यक होगा।
3. समी अग्निशमन यन्त्रों को कार्यशील दशा में रखने की जिम्मेदारी प्रधानाचार्य/प्रबन्धन की होगी। अग्निशमन यन्त्रों की स्थापना का अर्थ यह नहीं लगाया जाए कि अग्निकाण्ड की घटना नहीं हो सकती है। अतः स्वामी/प्रबन्धन को अग्निनिरोधक उपाय सदैव करते रहना चाहिए।
4. भवन/संस्थान में विद्युत यन्त्रों की स्थापना, वेंटीलेशन, स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी, सैट बैक एरिया व निर्माण, Land Use Change में बदलाव आदि का सत्यापन सम्बन्धित अधिकारी से कराया जाए।
5. इस अनापत्ति प्रमाण पत्र का उपयोग अवैध निर्माण को नियमित करने के लिए नहीं किया जा सकता।
6. संस्थान की अग्निशमन व्यवस्था के कार्यशील एवं एन.बी.सी.-2016 के मानकानुसार अग्निशमन व्यवस्था पूर्ण होने का स्व-घोषण प्रमाण पत्र/Audit Report प्रति छः माह में प्रस्तुत/अपलोड/ईमेल करना अनिवार्य है।
7. यदि उपरोक्त अग्निसुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र से सम्बन्धित भवन या अधिभोग के आकार, प्रकृति, प्रयोजन या स्थान के किसी प्रकार का कोई परिवर्तन किया जाता है, तो अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र नये सिरे से लिया जाना अनिवार्य होगा।
8. संस्थान में फायर पम्प लाईफ सेफ्टी के दृष्टिगत फायर पम्प हाऊस की इलैक्ट्रिक सप्लाय के लिए सेपरेट फिडर का प्रयोग करना अनिवार्य है यदि अग्निकाण्ड की घटना घटित होने पर पम्प हाऊस को इलैक्ट्रिक की सप्लाय नहीं मिलती है तो सम्पूर्ण दायित्व प्रधानाचार्य/प्रबन्धक का होगा।
9. संस्थान में प्रत्येक 03 माह में मॉक ड्रिल करायी जाये जिसकी सूचना इस कार्यालय को प्रेषित की जानी आवश्यक है।
10. प्रत्येक स्व-घोषण प्रमाण पत्र/Audit Report में संस्थान में उपलब्ध अग्निशमन व्यवस्था में बदलाव (जैसे मेन्टीनेंस इत्यादि) की स्थिति से इस कार्यालय को अवगत कराना अनिवार्य है।
11. यदि भवन/संस्थान को जिस मानचित्र पर पूर्ण संचालन (Pre-Operational) अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान की गई थी यदि उसके दर्शाये गये सैट बैक में स्थाई व अस्थायी निर्माण कर अग्निशमन एवं रेस्क्यू कार्य बाधित किये जाने एवं सेफ्टी मानकों में परिवर्तन किये जाने पर प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।
12. स्वामी/प्रबन्धक को प्रश्नगत भवन में उपलब्ध न्यूनतम अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था के अतिरिक्त भवन में सुदृढ़ अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था हेतु भवन में फायर पम्प की क्षमता को बढ़ाकर 450 लीटर प्रति मिनट क्षमता तथा संचालित लैब (कैमैस्ट्री, कम्प्यूटर आदि) में सीओ2 फायर एक्सटिंग्यूशर, फॉम एक्सटिंग्यूशर का प्रावधान कराना अनिवार्य होगा। जिसकी अनुपालन रिपोर्ट प्रथम स्व-घोषण प्रमाण पत्र/Audit Report के साथ उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

-क्रमशः 02-

13. संस्थान में अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था निर्धारित मानकों/एन.बी.सी 2016 के भाग 04 की गार्इड लाईन के अनुसार सतत अद्यतन (Update) स्थिति में रखा जाना जीव रक्षा एवं राष्ट्रीय सम्पत्ति की सुरक्षा के हित में आवश्यक है।
14. प्रधानाचार्य/प्रबन्धक को निर्देशित किया गया कि प्रश्नगत भवन का मानचित्र जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत है। भवन का उसी प्रयोजन हेतु उपयोग किया जाए, यदि स्वीकृत मानचित्र के अतिरिक्त भवन अन्य प्रयोजन हेतु उपयोग किया जाता है तो अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रभावी नहीं रहेगा और स्वतः ही अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त समझा जाएगा। उक्त भवन के किसी तल में कोई नया शैक्षणिक संस्थान अंचालित किया जाता है तो उसकी जानकारी इस कार्यालय को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
15. आकस्मिक निरीक्षण के दौरान नियमानुसार व्यवस्था नहीं पायी जाती है, यदि किसी प्रकार की लापरवाही/तकनीकी खराबी के कारण अग्नि दुर्घटना के समय अग्निशमन उपकरण कार्य नहीं करते हैं तो पूर्ण उत्तरदायित्व स्वामी/प्रबन्धक का होगा तथा यह प्रदत्त प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त माना जायेगा।

(अभिनव त्वागी)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
देहरादून।

(P. K. Patel)
P. K. Patel
VIDYASTHAL CHILDREN ACADEMY
Badowala, Shimla Road, Dehradun

(A. B. Singh)
PRINCIPAL
VIDYASTHAL CHILDREN ACADEMY
Badowala, Shimla Road, Dehradun